न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.

(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट खोह)

वाद संख्या :– 02/172/2016

<u>रामसिंह बनाम सरकार</u>

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

दिनांक 21.06.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट खोह पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 07.11.2016 को आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 893, 894 वाके ग्राम खोह तहसील राजगढ में एकतरफा बहस वकील वादी सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 21.11.2016 तक इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी कि वो विवादित आराजी की मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें तथा प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब करने के आदेश दिए गये। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रकरण में टी.आई. आदेश वर्ष 2016 से प्रचलन में है जिसका अभी निस्तारण नहीं हुआ है, जिसको करीब 2 वर्ष का समय हो गया है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया। अतः प्रकरण में आराजी विवादित की दावे के निर्णय तक मौके की यथास्थिति बनाये रखना उचित है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 893, 894 वाके ग्राम खोह तहसील राजगढ आंशिक स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को दावे के निर्णय तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित आराजी की मौके की यथास्थिति बनाये रखे। निर्णय आज दिनांक 21.06.2018 कैम्प कोर्ट खोह पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के संलग्न हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट खोह)